संख्याः 2826 /xxx(2)/2005

प्रेषक,

डॉ0 आर0 एस0 टोलिया,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 21 सितम्बर, 2005

विषयः– **विदेश प्रशिक्षण, गोष्ठी तथा सेमिनार में भाग लेने के उपरान्त भ्रमण प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण ।**

महोदय,

प्रायः यह देखा गया है कि विदेश भ्रमण पर जाने वाले अधिकारियों द्वारा यात्रा की समाप्ति के उपरान्त कोई विस्तृत भ्रमण प्रतिवेदन/सुझाव विभागों को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है जिससे सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भ्रमण के समय प्राप्त अनुभव एवं ज्ञान का लाभ शासन के विभागों को प्राप्त नहीं हो रहा है । इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागों द्वारा भ्रमण की स्वीकृति के साथ निम्नलिखित शर्ते स्थाई रूप से लगायी जॉयः–

1.संबंधित अधिकारी द्वारा अपने भ्रमण से संबंधित सचित्र विस्तृत प्रतिवेदन सुझाओं सहित अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से विलम्बतम् दो सप्ताह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

2.सम्बन्धित अधिकारी द्वारा विस्तृत भ्रमण प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण भी अन्य अधिकारियों के समक्ष, जैसा कि सम्बन्धि विभागाध्यक्ष/प्रमुख सचिव/सचिव,द्वारा निर्देशित किया जाय, करना अनिवार्य होगा ।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राज्य गठन के पश्चात् जो अधिकारी विदेश भ्रमण पर गये हैं, वे भी प्रशिक्षण से सम्बन्धित विस्तृत प्रतिवेदन शासन को उपलब्ध करायेंगे । भविष्य में विदेश भ्रमण कार्यक्रम को गम्भीरता से देखा जाय तथा विदेश भ्रमण एवं भ्रमण से संबंधित प्रतिवेदन अधिकारी की वार्षिक प्रविष्टि के समय मूल्यांकन का भी भाग बनायें

जायेंगे । आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

(डॉ0 आर0 एस0 टोलिया)
मुख्य सचिव ।